न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/48/2K.	02.11.2000	05.07.2019

उनवान

1. जुम्मा पुत्र श्री किशनाराम जाति जाटव निवासी ग्राम लालपुरी हाल निवासी ग्राम बहाला तहसील रामगढ़ (मृतक) जर्ये वारिसान
   1/1 सम्पति पत्नी स्व0 श्री जुम्मा राम जाति जाटव
   1/2 लल्लूराम पुत्र स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव
   1/3 आनन्दीलाल पुत्र स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव
   1/4 सोहनलाल पुत्र स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव
   1/5 किस्तूरी पुत्री स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव
   1/6 सोनबाई पुत्री स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव
   1/7 लालबाई पुत्री स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव
   1/8 ताराबाई पुत्री स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव निवासियान ग्राम लालपुरी हाल निवासी ग्राम बहाला तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
2. भूदर पुत्र श्री किशना (मृतक)
   2/1 पदमचन्द पुत्र स्व0 किशना
   2/2 पप्पू उर्फ मामराज पुत्र स्व0 किशना
   2/3 चरणसिंह पुत्र स्व0 किशना
   2/4 राजेश पुत्र स्व0 किशना
   2/5 मु0 पूनी स्त्री चेतराम जाति चमारान निवासी ईमरत का बास, अलवर।
   2/6 सुनीता धर्मपत्नी रामजीवन निवासी केसरोली का बास तह0 रामगढ।
   2/7 सूरता धर्मपत्नी सुखराम जाति चमार निवासी ग्राम केसरोली का बास तह0 रामगढ।
3. पोल्या पुत्र श्री किशना जाति चमार निवासी ग्राम लालपुरी तहसील रामगढ़।

..............................वादीगण

बनाम

1. गिर्राज पुत्र श्री लहरी
2. रामस्वरूप पुत्र श्री लहरी
3. किशोर पुत्र श्री लहरी
4. मोहरसिंह पुत्र श्री लहरी
5. कैलाश पुत्र श्री लहरी जाति जाटान निवासियान ग्राम लालपुरी तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....................प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम लालपुरी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। जो आराजी वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी में अरसा करीब 50 साल से चली आ रही है। पहले वादीगण का पिता वगैराह इस आराजी को काश्त करते थे, और उनके मरने के बाद वादीगण काबिज रहकर बदस्तूर उपरोक्त आराजी को काश्तं करते चले आ रहे है, एवं अब भी मौके पर वादीगण का कब्जा है। वादीगण के मकानात पक्के बने हुए है, कुंआ बना हुआ है, इंजन हमारे नाम लगा हुआ है, हमारे नाम उसकी पास बुक जारी हो चुकी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रतिवादीगण का व उनके पिता मृतक लहरी का इस आराजी से कोई सम्बन्ध वो सरोकार किसी प्रकार का नही है, ना कभी था, लेकिन वादीगण जाति से जटिया हरिजन व गरीब असहाय होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण के पिता लहरी पुत्र पांचा जाति जाट निवासी लालपुरी ने खिलाफ मौका, खिलाफ कानून गलत तौर पर हमें नाजायज नुकसान पहुॅचाने की गरज से बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर अपना नाम़ का इन्द्राज करा लिया, एवं उसके बाद की समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वगैराह में भी प्रतिवादीगण के पिता लहरी पुत्र पांचा ने अपने नाम का इन्द्राज करा लिया, जो गलत, खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है, तथा वादीगण के हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जाकर बन्दोबस्त एवं उसके बाद के समस्त राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण के पिता लहरी का नाम कलमजन किया जाकर हमारा नाम खातेदार दर्ज किया जावे व दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण का पिता लहरी का स्वर्गवास हो चुका है, और प्रतिवादीगण उसके पुत्रांन है, और वारिस है, जो नाजायज तौर पर आराजी मुतनाजा पर लट्ठ के बल पर हम गरीब जाटवो की जमीन मुतनाजा को हडप करना चाहते है और हमारे साथ झंगडा फिसाद करते है, तथा नाजायज कब्जा करने की धमकी देते है, तथा प्रतिवादीगण अपने पिता लहरी मृतक की विरासत का इन्तकाल अपने नाम दर्ज व मन्जूर कराने की कोशिश व जुस्तजू में है, तथा आराजी को दीगर लोगों को रहन, बैय, हिब्बा आदि के जर्ये मुन्तकिल करने पर तुले हुए है। और यदि ऐसा कर दिया तो हम वादीगण को अजहद नापूर्ति होने वाली ऐसी भारी हानि होगी, कि जिसका कोई

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

अन्दाजा नही लगाया जा सकेगा, तथा हम गरीब हरिजन अपनी आराजी से महरूम हो जावेंगे, इसलिए प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री इस्तकरारहक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर की सादिर की जावे कि वादीगण आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम लालपुरी तहसील रामगढ़ जिला अलवर के खातेदार काश्तकार है, इसलिए उनको खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तथा प्रतिवादीगण व उनके मृतक पिता लहरी का इस आराजी से कोई सरोकार किसी प्रकार का नही था, बन्दोबस्त हाल व उसके बाद के समस्त राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता लहरी ने जो अपने नाम का इन्द्राज करा लिया, वह वादीगण के हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी गलत करार दिया जाकर लहरी का नाम कागजातमाल से कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर दुरूस्ती फरमाई जावे। एवं वादीगण का नाम कागजातमाल में बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा ना करे ना वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजहमत करे, और ना ही आराजी को रहन, बैय, हिब्बा आदि के जर्ये मुन्तकिल करे ना अपने पिता मृतक लहरी की विरासत का इन्तकाल इस आराजी की बाबत अपने नाम दर्ज करायें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी वादीगण व उनके पिता कृष्णा कि कब्जे काश्त खातेदारी की कभी भी नही रही और उनका कोई कब्जा भी न तो कभी रहा और न है वादीगण ने गलत तथ्य दर्ज किये है तथा कथित आराजी की पासबुक्स 1178 जो वादीगण ने दर्ज की है जो एक दम गलत है जिसकी फोटो कापी पेश करना बताया जो फोटो कापी काबिल अदालत शाहादत नही है सही तथ्य यह है कि आराजी उपरोक्त पर हम प्रतिवादीगण अपने बुर्जुगो के जमाने से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है। और इस आराजी में चाह भी है जिसमें हमारा इंजन की कोठडी भी है, साबिका कागजातमाल खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी में भी हम प्रतिवादीगण व हमारे

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

पिता के नाम का इन्द्राज बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार के बदस्तूर होता चला आ रहा है और इस आराजी की जमा सरकारी भी हम ही अदा कर रहे है, वादीगण ने गलत तथ्यों के साथ यह दावा व दरख्वास्त पेश की है, और इस आराजी से हमारी बोई हुई फसल गेंहू मौके पर खडी है। वादीगण ने अपनी जाति जाटव हरिजन का गलत फायदा उठाने की गरज से यह वाद पेश किया है वरना साबिका कागजतामाल जमाबन्दी व रेवन्यू रिकार्ड में हम प्रतिवादीगण व हमारे पिता लहरी काबिज काश्तकार खातेदार के अंकित है और सैटलमेन्ट हाल में भी सही प्रकार इन्द्राजात उपरोक्त तारीख पर खातेदारीका हुआ है। इस आराजी उपरोक्त के काबिज काश्तकार खातेदार अंकित है और सैटलमेन्ट हाल में भी हमारे नाम का इन्द्राज है और हमसे पहले हमारा पिता लहरी था एवं हमारे पिता लहरी के फुट पर उसके जीवनकाल से इस आराजी में अरसे दराज से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। और काबिज है जो जमा सरकारी अदा करते चले आ रहे है वादीगण व उनके पिता किशन ने इस आराजी में अरसे दराज से किसी भी हैसियत से कोई काश्त नही की। जब वादीगण व उनके पिता किशना का कोई कब्जा काश्त किसी भी हैसियत से इस आराजी पर न तो कभी रहा और न है तो उन्हें प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल करने व मजाहमत करने का प्रश्न ही पैदा नही होता, विवादित आराजी हम प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की है, और हमारी रोजी रोटी का साधन है हमारे द्वारा इस आराजी को मुन्तकिल व मकफूल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता और ना ही हम ऐसा कर रहे है वादीगण ने गलत तथ्यों के साथ दावा पेश किया है.। आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम लालपुरी तहसील रामगढ़ है। जो आराजी दीगर आराजी खसरा नम्बर के साथ हम प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी में अरसे दराज से चली आ रही है। और हम प्रतिवादीगण अपने बुजुर्गो के फुट पर इस आराजी में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है और हमारा कुंआ बना हुआ है और हमारा इंजन भी लगा हुआ है, अब भी इस आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा में हमारी फसल गेंहू मौके पर खडी है, वादीगण गैर काबिज है वादीगण व उनके बुर्जुगान का कोई कब्जा इस आराजी खसरा नम्बर 224 पर न तो कभी रहा और न है, वादीगण ने बेजा रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे जाने की बाबत खसरा नम्बर 224 का इन्तकाल विरासत जो दीगर आराजी के साथ हम प्रतिवादीगण के

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

नाम चढना था वह रूक गया और इस खसरा नम्बर 224 का इन्तकाल विरासत तस्दीक नही हुआ और बाकी खसरा नम्बरान 189, 39, 142, 144, 155/1, 155/2, 193, 196, 225 का इन्तकाल नम्बर 278 हम प्रतिवादीगण के हक में हमारे पिता लहरी का तस्दीक हो चुका है ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2054 व गिरदावरी सम्वत 2056 जवाब दावे के साथ पेश है। जबकि विवादित आराजी खसरा नम्बर 224 से व अन्य हमारी आराजी से वादीगण का कोई ताल्लुक व वास्ता न तो कभी रहा और न है वादीगण गैर काबिज है। वादीगण ने यह दावा यह तथ्या जानते हुए कि वोह गलत दावा कर रहे है और उनका विवादित आराजी से कोई ताल्लुक नही है और उनका कब्जा भी अरसे दराज से न तो कभी रहा और न है।

दावा व जवाब दावे के उपरान्त वाद में तनकीयात कायम की गई।

1. आया आराजी खसरा नम्बर 224 वाके ग्राम लालपुरी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर दौराने बन्दोबस्त प्रतिवादीगण के पिता के नाम का किया गया। इन्द्राज वादीगण दुरूस्त करवाकर अपने को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

.........................वादी

2. आया वादीगण, प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने के अधिकारी है ।

.........................वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी से वादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है यह आराजी प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।

.........................प्रतिवादी

4. दादरसी?

वादीगण ने दावे के समर्थन में सोहनपाल पीडब्लू-1, पोल्या पीडब्लू-2 दौलतराम पीडब्लू-3 के शपथ पत्र बयान कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2030-2034 ईएक्स-1, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय विशिष्ट न्यायाधीश अलवर दिनांक 27.02.2003 ईएक्स-2, नकल निर्णय दिनांक 05.03.2003 ईएक्स-3 की प्रतियां पेश की गई।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण ने कटाक्ष में मोहर सिंह डीडब्लू–1, खिलाडी डीडब्लू–2, राधे डीडब्लू–3 के शपथ पत्र बयान कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में खसरा गिरदावरी सम्वत 2013–16 ईएक्सए–1, खसरा गिरदावरी सम्वत सम्वत 2018–20 ईएक्सए–2, जमाबन्दी सम्वत 2012 ईएक्सए–3, मिलान क्षेत्रफल ईएक्सए–4, निर्णय सेशन कोर्ट ईएक्सए–5, 6, पटवारी हल्का की रिपोर्ट ईएक्सए –7, दैनिक डायरी पटवारी हल्का जातपुर ईएक्सए–8 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

पत्रावली नियत दिनांकानुसार पेश हुई वादीगण को कई बार आवाज दिलाई गई। वादीगण उपस्थित नही। प्रतिवादीगण वो उनके अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादीगण के वकील का कथन है कि प्रकरण 19 साल से लम्बित है इसलिए इसका निस्तारण मैरिट पर किया जना चाहिये तथा इसके समर्थन में प्रतिवादीगण के वकील द्वारा आदेश 17 नियम 2 (स्पष्टीकरण) सीपीसी की ओर ध्यान आकृषित किया, कानूनी बिन्दु पर गौर किया इसलिए प्रकरण को न्यायहित में प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए मैरिट पर निर्णय करना न्यायालय उचित समझती है।

प्रकरण में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर मनन किया।

तनकी सं0 1 आया विवादित आराजी बन्दोबस्त कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम का इन्द्राज करा लिया है जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है, को साबित करने का भार वादीगण पर का है जिसकी मौखिक साक्ष्या वो दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख करना उक्त तनकी हेतु जरूरी है।

वादीगण की ओर से बन्दोबस्त सम्वत 2020 से पूर्व का कोई रिकार्ड नही पेश किया गया। जिसमें विवादित आराजी वादीगण अथवा उनके बुर्जुगान के नाम हो जबकि प्रतिवादीगण द्वारा बन्दोबस्त 2020 से पूर्व तथा पश्चात का समस्त रिकार्ड जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल पेश किये गये जिसमें प्रतिवादीगण के पिता लहरी तथा उसके पिता पांचा का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पीडब्लू–1 तथा पीडब्लू–3 जो शपथ पत्र पेश किया है उसमें वो बाते दर्ज है जो दावे में नही है तथा दावे से हटकर तबादला में विवादित आराजी को अपनी होना बताया है। तबादला के तथ्य दावे में उल्लेखित नही है, तथा पीडब्लू–2 पोल्या ने जो शपथ पत्र के जर्ये बयान दिये है वो

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

भी विवादित आराजी को तबादले में आना बताकर अपनी होना बताते है तथा जिरह में उनका विवादित आराजी पूर्व में पांचा की थी उसके पश्चात लहरी तथा मौजूदा में प्रतिवादीगण के नाम है तथा पीडब्लू–3 दौलतराम ने भी शपथ पत्र जिरह में प्रतिवादीगण के जवाब दावा का समर्थन किया है तथा इस बात को भी स्वीकार किया है कि पूर्व में भी जमीन पांचा की थी अर्थात बन्दोबस्त से पूर्व भी तथा उसके पश्चात भी विवादित आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी में है। मौका कब्जा रिपोर्ट ईएक्सए–7 वो घटना बही ईएक्सए–8 से कब्जा भी वादीगण का साबिक नही है उसमें भी प्रतिवादीगण का कब्जा होना बताया गया है। इस प्रकार से वादीगण की स्वयं मौखिक साक्ष्यों से विवादित आराजी प्रतिवादीगण तथा उनके पिता वो दादा पांचूराम की बखूबी खातेदारी की आराजी साबित है। वादीगण द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है कि उक्त आराजी या बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया हो, तथा वादीगण तबादले की बात कहकर आये है जो दावा में नही है। इस प्रकार दावा साबित करने में असफल रहे है। तनकी सं0 1 विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 2 आया वादीगण, प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने के अधिकारी है ।

तनकी सं0 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त सम्वत 2020 से पूर्व तथा उसके पश्चात समस्त रिकार्ड में प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गान का नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे यह उप धारणा की जाती है कि विवादित आराजीपर भौतिक रूप से प्रतिवादीगण काबिज है। दस्तावेजी रिकार्ड का वादीगण की ओर से कोई खण्डन नही किया गया है। दौराने जिरह वादीगण से प्रदर्श ईएक्सए–7 मौके की रिपोर्ट साबित की गई है तथा घटना बही ईएक्सए –8 पत्रावली पर पेश की जाकर प्रतिवादीगण ने वादीगण से इस सम्बन्ध में जिरह की गई है। दोनों दस्तावेजी साक्ष्य से भी यह साबित है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज है। वादीगण गैर काबिज है। तदानुसार वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार नही है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

तनकी सं0 3 आया वादग्रस्त आराजी से वादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है यह आराजी प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।

उक्त तनकी वादीगण से सम्बन्धित है। जब वादीगण अपना वाद साबित नही कर पाये तो ऐसी स्थिति में वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ही अरसे दराज से उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है तथा काश्त कर रहे है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करें

वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.07.19

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— श्री महेश चन्द्र मान *आर. ए. एस.*

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/48	02.11.2000	05.07.2019

उनवान

1. जुम्मा पुत्र श्री किशनाराम जाति जाटव निवासी ग्राम लालपुरी हाल निवासी ग्राम बहाला तहसील रामगढ़ (मृतक) जर्ये वारिसान
   1/1 सम्पति पत्नी स्व0 श्री जुम्मा राम जांति जाटव
   1/2 लल्लूराम पुत्र स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव
   1/3 आनन्दीलाल पुत्र स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव
   1/4 सोहनलाल पुत्र स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव
   1/5 किस्तूरी पुत्री स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव
   1/6 सोनबाई पुत्री स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव
   1/7 लालबाई पुत्री स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव
   1/8 ताराबाई पुत्री स्व0 श्री जुम्माराम जाति जाटव निवासियान ग्राम लालपुरी हाल निवासी ग्राम बहाला तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
2. भूदर पुत्र श्री किशना (मृतक)
   2/1 पदमचन्द पुत्र स्व0 किशना
   2/2 पप्पू उर्फ मामराज पुत्र स्व0 किशना
   2/3 चरणसिंह पुत्र स्व0 किशना
   2/4 राजेश पुत्र स्व0 किशना
   2/5 मु0 पूनी स्त्री चेतराम जाति चमारान निवासी ईमरत का बास, अलवर।
   2/6 सुनीता धर्मपत्नी रामजीवन निवासी केसरोली का बास तह0 रामगढ।
   2/7 सूरता धर्मपत्नी सुखराम जाति चमार निवासी ग्राम केसरोली का बास तह0 रामगढ।
3. पोल्या पुत्र श्री किशना जाति चमार निवासी ग्राम लालपुरी तहसील रामगढ़।

.....वादीगण

बनाम

1. गिर्राज पुत्र श्री लहरी
2. रामस्वरूप पुत्र श्री लहरी
3. किशोर पुत्र श्री लहरी
4. मोहरसिंह पुत्र श्री लहरी
5. कैलाश पुत्र श्री लहरी जाति जाटान निवासियान ग्राम लालपुरी तह0 रामगढ जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.07.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

05.07.19

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner